



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8245 सन् 2026

विनीत कुमार एवं 3 अन्यआवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : शशि कुमार मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शशि कुमार मिश्रा के पक्ष में कार्य कर रहे श्री एस.के. त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 06.01.2026 के समझौता पत्र के आधार पर सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जाए, जो कि वाद संख्या 731 सन् 2020 (राज्य बनाम विनीत अन्य) में, अपराध संख्या 1004 सन् 2018, धारा 498-ए, 406, 323, 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद मैनपुरी से संबंधित है और जो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के न्यायालय में लंबित है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण तथा प्रतिवादी संख्या-2 एवं 3 के मध्य विवाद का निस्तारण आपसी समझौते के माध्यम से हो चुका है, जिसे दिनांक 06.01.2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा विधिवत् सत्यापित किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या-3, आवेदक संख्या-1 के साथ अपने ससुराल में निवास कर रही है।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि वर्तमान विवाद पक्षकारों के मध्य वैवाहिक कलह से उत्पन्न है तथा पक्षकारों ने स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव, धमकी या बल प्रयोग के समझौता किया है और अब वे विचारण न्यायालय में लंबित कार्यवाही को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं, अतः समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही निरस्त की जाए तथा वे कोई प्रतिशपथपत्र या प्रत्युत्तर शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों की सत्यता का विवाद नहीं किया गया है।
6. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को निरस्त करने के संबंध में विधि पूर्णतः सुव्यवस्थित है।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2003) 4 एससीसी 675 के निर्णय के आलोक में यह प्रतिपादित किया गया है कि उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, विशेषकर वैवाहिक विवादों में जहाँ पक्षकारों के मध्य वास्तविक समझौता हो चुका हो। यह भी स्पष्ट किया गया कि धारा 320 दं.प्र.सं. इस शक्ति को सीमित नहीं करती है तथा ऐसे मामलों में न्याय के हित में समझौते को प्रोत्साहित करने हेतु यह शक्ति प्रयोग की जा सकती है।
8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2012) 10 एससीसी 303 में यह प्रतिपादित किया गया है कि ऐसे आपराधिक मामले जिनका स्वरूप मुख्यतः दीवानी प्रकृति का है, विशेषकर वाणिज्यिक, वित्तीय, वैवाहिक या पारिवारिक विवाद, जिनमें पक्षकारों ने संपूर्ण विवाद का निस्तारण कर लिया हो, उनमें यदि न्यायालय की राय में दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण हो तथा कार्यवाही जारी रखना अन्यायपूर्ण हो, तो ऐसी कार्यवाहियों को निरस्त किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मुर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2017) 9 एससीसी 641 में यह व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि गैर-समझौता योग्य अपराधों में भी, यदि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका हो, तो न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर सकता है।
10. पक्षकारों ने आपस में लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है। अभिलेखों के अवलोकन एवं उपर्युक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत वर्तमान मामला न्यायालय की शक्ति के प्रयोग हेतु उपयुक्त है।
11. विवाद पूर्णतः वैवाहिक प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसका पक्षकारों के मध्य पूर्णतः सौहार्दपूर्ण निस्तारण हो चुका है, अतः अभियोजन को आगे बढ़ाने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।
12. वर्तमान धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831 सन् 2025, एसएलपी (क्रि.) संख्या 11642 सन् 2019, दिनांक 02.09.2025 में प्रतिपादित सिद्धांतों के दायरे में आता है।
13. समझौता सत्यापन दिनांक 06.01.2026 के अनुसार, वाद संख्या 731 सन् 2020 (राज्य बनाम विनीत अन्य), जो कि अपराध संख्या 1004 सन् 2018, धारा 498-ए, 406, 323, 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद मैनपुरी से संबंधित है तथा माननीय मुख्य न्यायिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के न्यायालय में लंबित है, की सम्पूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

14. तदनुसार, वर्तमान धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन अनुमन्य किया जाता है।

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

दिनांक : 25 मार्च, 2026

पुशपेन्द्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।